न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक0प्र0क0-205 / 11</u> <u>संस्था0दि0 25 / 07 / 11</u> फाईलन.233504000802011

कल्लूलाल पिता स्व. गंगाचरण प्रजापति, उम्र 50 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी माता मंदिर, रतेड़ा रोड आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----<u>परिवादी</u>

-: विरूद्ध:-

- 1. राजू पिता रूपचन्द मालवीय, उम्र 31 वर्ष,
- 2. श्रीमती सुखिया पति रूपचंद मालवीय, उम्र 55 वर्ष, दोनों:—जाति कुम्हार, नि0 एस.एस. कालोनी, भरतादेव, चंदनगांव, थाना व जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)
- रूपचंद पिता भिकम उर्फ खुड्डी, उम्र 64 वर्ष,
 जाति कुम्हार, नि0 एस.एस. कालोनी, भरतादेव,
 चंदनगांव, थाना व जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)——(उन्मोचित)
- 4. चैतराम उर्फ चंदर पिता छोटेलाल मालवीय, उम्र 47 वर्ष, जाति कुम्हार, नि० साउथ सिविल लाईन के पीछे, छिन्दवाड़ा, थाना, तह० जिला बैतूल (म०प्र०)——(उन्मोचित)
- श्रीमती संगीता पिता चैतराम उर्फ चंदर, उम्र 37 वर्ष, जाति कुम्हार, नि० साउथ सिविल लाईन के पीछे छिन्दवाड़ा, थाना व जिला छिन्दवाड़ा (म०प्र०)——(उन्मोचित)

--- <u>अभियुक्तगण</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक 09 / 12 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—3/4 के तहत् अभियोग है कि आपने दिनांक 26/04/2010 तक के मध्य आमला में फरियादी कल्लुलाल से उसकी पुत्री संगीता की शादी के एवज में आल्टो कार पचास हजार रूपये नगद एवं 5 तोला सोना देने के लिए दुष्प्रेरित किया।
- 2— परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि 4 मार्च 2010 को राजू की माँ सुखियाबाई ने राजू के मोबाईल नं. 9424962080 से परिवादी को फोन किया कि राजू मचल रहा है, नौकरी वाला लड़का है तो उसकी मांग पूरी करना चाहिए वह मोटर साईकिल लेने के लिए अड़ गया है तद्उपरांत 10 मार्च 2010 को परिवादी के रिश्तेदार हरीराम, नानक आदि राजू के घर गये थे। राजू के पिता ने भी इस संबंध में परिवादी को कहा कि इस संबंध में आप एक देड महिने के बाद आना फिर वे बात करेगें। दिनांक 05/04/2010 को

परिवादी के साथ उसकी पत्नी उसके करीबी रिश्तेदार तथा आमला के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसमें मुख्यतः किशन साहू, साबिरशाह, मुन्नू देशमुख तथा श्याम वराठे सहित करीब 18 लोग राजू के घर छिन्दवाडा गये थे। उस दिन परिवादी के रिश्तेदारों द्वारा राजू को अलग ले जाकर उससे पूछा कि तुम्हारी मांग क्या है, तो राजू ने कहा कि मोटर साईकिल तो उसके पास है उसे शादी में आल्टो कार चाहिये 5 तोला सोना तथा 50,000 / — रूपये नगद चाहिये। तब परिवादी के मित्रों तथा रिश्तेदारों ने उसे समझाईश देकर कहा कि परिवादी की इतनी हैसियत नहीं है वह इतना नहीं दे पायेगा।

3— परिवादी ने आगे अपने परिवादपत्र में बताया है कि तब राजू ने परिवादी के साथ गये लोगों व रिश्तेदारों से कहा कि 18/05/2010 की शादी वह टाल देगा, उस समय वहां उपस्थित लड़के राजू के पिता ने कहा कि आप लोग शादी की तैयारी करो। लड़के राजू के पिता की बात मानकर सब लोग वापस आ गये तथा परिवादी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ उक्त शादी की तैयारी करने लग गए तथा परिवादी ने बैण्डबाजे वाले कृष्णा को बेण्ड बाजे के लिये तथा खाना बनाने वाल अचारी अनिल पार्षद आमला को तय कर एडवांस पैसा दे दिया वीडियो फिल्म बनाने के लिए धमैन्द्र डहेरिया को तय कर लिया तथा शादी कार्ड भाईजान से छपवा लिये तथा टेन्ट लगाने का काम नितेश को दे दिया, दूर के रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भिजवा दिये जिससे परिवादी का काफी पैसा उक्तानुसार लग गया। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को दिनांक 16/04/2010 को यह सूचित किया कि यदि परिवादी कार, सोना नगद रूपया नहीं दे रहे हो, तो वह यह शादी नहीं करेगें। उक्त शादी के बिचौलियों बाबूलाल तथा नानक जो कि बैतूल बाजार के रहने वाले है ने परिवादी के घर आकर बताया कि आप उनकी मांग अनुसार कार, सोना, नगद रूपया, नहीं देगें तो वे लोग शादी नहीं करेगें। उनकी शादी की बात कही और चल रही है।

4— परिवादी ने आगे अपने परिवाद पत्र में बताया है कि उक्त संबंध में परिवादी की ओर से थाना आमला पुलिस अधीक्षक बैतूल को आवेदन देकर अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की गई लेकिन थाना आमला और पुलिस अधीक्षक बैतूल के द्वारा परिवादी की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से परिवादी को मजबूर होकर न्यायालय के समक्ष यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है और अभियुक्त को विधि अनुसार दंडित किए जाने एवं परिवादी ने उक्त सगाई कार्यक्रम में भेंट स्वरूप दिये गये कपड़े तथा सोने के जेवरात व कार्यक्रम आयोजन से हुआ नुकसान 50,000/—रूपये अभियुक्तगण से दिलवाये जाने का निवेदन किया है।

5— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कहा कि कल्लुलाल ने झूठा फंसाया है उसके चाचा एवं अभियुक्त सुखियाबाई की देवर की मृत्यु हो जाने के कारण एक साल तक रूकने के लिए कहा उसी बीच लडकी ने अपने पसंद से विवाह करने का निर्णय लिया और अपने बचाव में दो साक्षी नानक, राजेश प्रजापित को पेश किया है।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—''क्या आपने दिनांक 26/04/2010 तक के मध्य आमला में फरियादी कल्लुलाल से उसकी पुत्री संगीता की शादी के एवज में आल्टो कार पचास हजार रूपये नगद एवं 5 तोला सोना देने के लिए दुष्प्रेरित किया।

-: <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>:-विचारणीय प्रश्न क<u>0 1 का निराकरण</u>

परिवादी साक्षी कल्लूलाल (परि.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि 04 मार्च को सुखियाबाई राजू की मां का फोन राजू के मोबाईल से आया जिसका नं. 9424962080 है मोबाईल से सुखियाबाई ने लड़का नौकरी वाला देखा है तो मोटर साईकिल के लिए अड़ गया है उसकी मांग पूरी करो। फिर उन लोगों ने दिनांक 10/03/10 को हरिराम मॉ साहब और बाबूलाल को उन्होंने चंदनगांव भिजवाया कि वे उन्हें मोटर साईकिल भी देगें तो राजू के पिता रूपचंद मालवीय ने कहा कि आप लोग एक देड़ महीने बाद आवो। वे लोग सभी यहीं बैठकर समझ लेगे उसके बाद वे लोग एक देड माह बाद 18 लोग गये थे वह घर पर नहीं मिले थे फिर वे लोग शाम को गये तो वे लोग शाम को मिले थें फिर उन लोगों ने उनसे पूछा कि क्यों आप लोगों ने उन लोगों को ऐसा क्यों कर रहे हो तो उन्होंने बोला कि लड़का जैसा कहेगा वे तैयार है फिर उन्होंने तीन चार लोगों ने मिलकर राजू से पूछा अलग ले जाकर तो राजू का कहता है कि उसके पास मोटर साईकिल तो उसे आल्टो कार पचास हजार रूपये नगद पांच तौला सोना चाहिए तो यह शादी होगी नहीं तो वह यह शादी टाल दूंगा, फिर उन लोगों ने कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं हैं फिर वे लोग आने लगे तो रूपचंद राजू के पिता ने बोला कि आप लोग शादी की तैयारी करो वह लड़के की मांग पूरी करेगा तो वे लोग आकर वे लोग शादी की तैयारी शुरू कर दिये और शादी के कार्ड छपवाये और बांटने का काम भी ही हो गया। फिर दिनाक 16/04/10 को राजू की मॉ सुखियाबाई का उसके मोबाईल से फोन आया कि जो दहेज उन्होंने मांगा है वो भिजवा दो तभी वे शादी करेगें नहीं तो नहीं करेगें उसके बाद उन्होंने शादी टाल दी। उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रहें है।

आरोप पश्चात् साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 24 में स्वीकार किया है कि गूड़ी पाड़वा को नव वर्ष कहते है। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि किसी की मृत्यु हो जाये तो गुड़ी पलटने के पश्चात् ही कोई नया कार्य किया जाता है नये काम रोक दिये जाते है। अर्थात् मृत्यु होने के बाद भी गुड़ी पलटने के पहले भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 25 में स्वीकार किया है कि शादी कोई भी व्यक्ति करता है वह उसके हैसियत के अनुसार करता है कोई शादी 500 / - रूपये में होती है कई शादी में बीस-बीस लाख रूपये लगते है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 25 में स्वीकार किया है कि जब सगाई होती है तो लड़के तरफ से हाथ में जेवर सगुन के रूप में पैसे दिये जाते है। आगे यह स्वीकार किया है कि जब तक लड़की के कपड़े जेवर पैसे नहीं दिये जाते है, तब सगाई पूर्ण नहीं मानी जाती है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपनी हैसियत के अनुसार शादी की जाती है और लड़की के हाथ में कपड़े का सगुन दिये जाने बाद ही सगाई पूर्ण मानी जाती है। उक्त तथ्य का समर्थन प्र०पी०1 से लेकर प्र०पी० 6 के दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि परिवादी कल्लूलाल की लडकी संगीता को उपहार स्वरूप सगाई के समय भेंट स्वरूप सगुन हाथ में दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादी कल्लूलाल की लडकी संगीता की सगाई हुई है।

9— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 28 में स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजू के द्वारा पैसे व अन्य मांग की गई है, इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किए है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि राजू ने लिखकर मोबाईल नं. नहीं दिया था उसे मोबाईल नं. पर टेलीफोन आया था। अर्थात् अभियुक्त राजू के द्वारा पैसा मांगने के

संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है किन्तु उक्त दस्तावेज से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त राजू ने दहेज में कार व पैसों व अन्य चीजों की मांग नहीं की। क्योंिक एक ग्रामीण स्तर के व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह कॉलिडिटेल निकालकर पेश कर यह साबित करता कि अभियुक्त के द्वारा टेलीफोन के माध्यम से दहेज की मांग की। क्योंिक दहेज की मांग यदि अभियुक्त के द्वारा नहीं की जाती तो वह भी अपने बचाव के रूप में यह प्रस्तुत कर सकता था कि परिवादी के परिवाद में एवं साक्ष्य में बताया है कि मोबाईल नं. 9424962080 उसका नम्बर नहीं है या टेलीफोन या मोबाईल के माध्यम से दहेज के संबंध में कोई मांग नहीं की, ऐसे तथ्य अपने बचाव साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता था और अभियुक्त कथन में भी अपने उक्त तथ्य को बता सकता था। किन्तु बचाव पक्ष के द्वारा संपूर्ण प्रतिपरीक्षा में अपने बचाव साक्ष्य में यह प्रस्तुत नहीं किया गया गया कि 9424962080 उसका मोबाईल नं. नहीं है या उसने उक्त मोबाईल नं. से दहेज के संबंध में संगीता या परिवादी कल्लु या उसकी सास से कोई बातचीत नहीं किया है।

आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 29 में व्यक्त किया है कि सगाई के पहले वह छिन्दवाडा गया था तो वह आरोपी का मकान देखकर आ गया था। उसके पश्चात् वह छिन्दवाडा नहीं गया था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि समझाईश के लिए छिन्दवाड़ा गया था। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त कि वह 18 लोगों को लेकर गया था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि लडके के तरफ से शादी वाली बात रिश्तेदार को लेकर वह छिन्दवाडा नहीं गया था, वह 18 लोगों को लेकर गया था, अब साक्षी ने कहा कि समझाने के लिए लड़के वाले के तरफ से जोड़ने वाले तथा लड़की के तरफ जोड़ने वाले दोनों तरफ के मध्यस्त जोडने वाले लोगों को लेकर गया था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि लड़के के तरफ से अकेले बाबूलाल को लेकर गया था लेकिन जोड़ने में नानक भी था जो कि छिन्दवाड़ा में रहता है। उक्त तथ्य का समर्थन स्वयं बचाव साक्षी नानक (ब0सा01) की मुख्यपरीक्षा से यह स्पष्ट है कि हरिहरराव और बाबूलाल वापस चले गए उसके बाद 8–10 दिन बाद लडकी पक्ष से 7–8 लोग आए और उन्होंने उसके ससूर को कहा कि वे शादी की तारिख तय करने आए है। अर्थात सगाई होने के पश्चात परिवादी कल्लुलाल के साथ शादी करने के समझाईश हेतु लड़के वाले के घर 7-8 लोग गए। भले ही परिवादी ने 18 लोग बताया हो किन्तु यह तथ्य यह स्पष्ट है कि लड़की वालों के तरफ से 7-8 लोग शादी करने के लिए या दहेज से संबंधित मांग की समझाईश देने के लिए अभियुक्त राजु के घर गये थे।

11— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 31 में अस्वीकार किया है कि उसकी पुत्री अभियुक्त राजू से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए उसने पहले उसकी पुत्री की शादी कर दी और अभियुक्त को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ झूठा परिवाद पेश किया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने राजू के विरुद्ध केश इसलिए डाला है कि उससे पैसे की वसूली हो जाये। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री को यह जानकारी थी कि दहेज की मांग पर से उसकी शादी टूटी है उसकी पुत्री को इस बात की जानकारी है कि वह मानसिक रूप से प्रताडित हुयी थी। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि परिवादी कल्लुलाल उसकी पुत्री संगीता की शादी अभियुक्त राजू से करने के लिए तैयार था। वह 7—8 लोगों को लेकर भी अभियुक्त राजू के घर समझाईश के लिए भी गया और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है।

12— यह वास्तविक सत्य है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि

दहेज की मांग को लेकर अपनी पुत्री की शादी टूटे या रिश्ता टूटे, प्रत्येक व्यक्ति इस सामाजिक जीवन में यह चाहता है कि एक बार रिश्ता जुड़ जाने पर विवाह ही कराना चाहेगा, वह अनावश्यक रूप से किसी प्रकार से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है, जबिक जो बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा की कंडिका 31 में सुझाव दिया गया है कि उसकी पुत्री अभियुक्त राजू से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए उसने उसकी पुत्री की शादी कर दी और अभियुक्त को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ झूटा परिवाद पेश किया है। आगे इस गवाह ने इसी कंडिका में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री को यह जानकारी थी कि दहेज की मांग पर से उसकी शादी टूटी है उसकी पुत्री को इस बात की जानकारी है कि वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हुयी थी। उक्त सुझाव से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त राजू के द्वारा दहेज में कार, पचास हजार रूपये नगद, पांच तौला सोने की मांग के कारण ही शादी का रिश्ता तोड़ा अन्यथा उक्त मांग पूरी होने पर वह अवश्य ही विवाह करता। क्योंकि बचाव पक्ष के द्वारा संपूर्ण प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य नहीं लाया गया है कि अभियुक्त के द्वारा दहेज में पचास हजार रूपये नगद, एक कार, पांच तौला सोना, की मांग उसके द्वारा नहीं की गई।

13— बचाव साक्षी नानक (ब0सा01) और बचाव साक्षी राजेश प्रजापति (ब0सा02) उक्त दोनों साक्षीयों की मुख्यपरीक्षा से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त राजू के चाचा की मृत्यु दिनांक 07/03/10 को होने के कारण वह शादी एक साल के लिए आगे बढ़ाना चाहता था। किन्तु उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर उसके चाचा की मृत्यु के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि उसके चाचा कि मृत्यु हुई तो भी यह तथ्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि राजू एक वर्ष तक उसके चाचा की मृत्यु के कारण कोई शुभ कार्य नहीं कर सकता।

14— क्योंकि बचाव साक्षी नानक (ब0सा01) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि राजू का जीजा लगता है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि राजू उसका साला है। राजू और संगीता का रिश्ता तय होने के बाद सगाई की रश्म पूरी हूई थी। इस प्रकार यह साक्षी अभियुक्त राजू का जीजा है और हितबद्ध साक्षी है। उक्त साक्षी की साक्ष्य सूक्ष्मता रूप से विचार किया जाना आवश्यक है। इस गवाह ने सगाई होना स्वीकार किया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि राजू और संगीता की सगाई के बाद उन लोगों में क्या बात होती उसे जानकारी नहीं है। उसे इस बारे में यह भी जानकारी नहीं है कि संगीता और राजू के बीच क्या बातें होती थी। सगाई के बाद समधी—समधी मोबाईल से बात करते होगें तो उसे उसकी जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं है कि राजू की मां भी संगीता के माता—पिता से बात करते होगें। इस प्रकार इस बचाव साक्षी की प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट है कि यदि राजू के पिता माँ एवं राजू से दहेज के संबंध में मोबाईल से बात हुई तो इस गवाह कोई जानकारी नहीं है।

15— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि उसे सगाई टूटने वाली बात राजू ने बताया था। अर्थात् अभियुक्त राजू ने ही सगाई के बाद शादी तोड़ी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि कल्लुलाल और आमला से जो लोग गये थे वह लोग यह कहने गये थे कि दहेज की मांग न करे और रिश्ता ना तोड़े। आगे इस गवाह ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि राजू के घर कल्लू व आमला से लोग गए थे मृत्यु वाली बात एवं दहेज के संबंध में बात हुई थी। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपीरक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त राजू के द्वारा दहेज की मांग को लेकर ही सगाई के बाद रिश्ता तोड़ा गया है, क्योंकि यह

गवाह स्वयं बचाव साक्षी है और यह गवाह दहेज के संबंध में बात होने की बात होने को बताता है उक्त साक्षी की साक्ष्य का अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है बल्कि यह तथ्य अकाट्य रूप से विश्वसनीय है कि अभियुक्त राजू के द्वारा दहेज की मांग को लेकर ही शादी का रिश्ता तोड़ा गया है।

बचाव साक्षी राजेश प्रजापति (ब0सा02) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजू की छोटी बहन का पति है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया कि सगाई हुई है उसे इस बात का पता नानक जिन्होंने उसका रिश्ता राजू की छोटी बहन से करवाया है, उसने बताया है। अर्थात् यह गवाह भी अभियुक्त राजू का जीजा है। इस गवाह की साक्ष्य भी सुक्ष्मता रूप से विचार किया जाना आवश्यक है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि कल्लुलाल और उसकी पत्नी घर आए थे और शादी के लिए कह रहे थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में स्वीकार किया है कि राजू की जब संगीता से सगाई हुई थी तो उसके परिवार के बीच मोबाईल से क्या बातें होती थी उसे इस बारे में जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि संगीता और राजू की शादी इसलिए नहीं हुई कि राजू संगीता के परिवार से दहेज मांग रहा था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि राजू के चाचा खत्म हो गये थे इसलिए शादी एक के लिए आगे बढ़ा दी थी। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस बचाव साक्षी को इस संबंध में जानकारी नहीं है कि अभियुक्त राजू के परिवादी कल्लु और उसके परिवार की मोबाईल पर बात हुई तो उसे जानकारी नहीं है। आगे परिवादी की ओर से प्रश्न किया गया है कि हिन्दू धर्म ऐसा कोई रिति रिवाज नहीं है कि हिन्दू धर्म में यदि किसी भी मृत्यु होने पर कोई शुभ कार्य एक वर्ष के लिए टाला जाये। आगे इस गवाह ने उत्तर दिया है कि उसे हिन्दू धर्म के बारे मे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसके समाज में कोई दुःख की बात मृत्यु दुर्घटना हो जाये तो वह लोग 6 माह या 12 माह के लिए टाल देते है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका समाज हिन्दू धर्म का पालन करता है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में स्वयं बचाव साक्षी के द्वारा स्वीकृत तथ्यों से स्पष्ट है कि यह गवाह हिन्दू धर्म को मानता है और हिन्दू धर्म के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है, ऐसे तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है क्योंकि यह गवाह किसी की मृत्यु होने पर 6 माह या 12 माह शुभ कार्य के लिए टाल देना विरोधाभाष है। क्योंकि स्वयं अभियुक्त ने अपने अभियुक्त कथन की कंडिका 32 के उत्तर में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि एक साल के लिए रूकने के लिए कहा। साथ ही बचाव पक्ष की ओर से स्वयं अभियुक्त राजू ने अपने प्रश्न की कंडिका 35 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि लड़की को उससे शादी करना पंसद नहीं था वह उसकी पंसद से विवाह करना चाहती थी वह इस बात को छिपाने के लिए वह झूठ बोलते है। किन्तु उक्त तथ्य बचाव साक्षीयों ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट न्हीं किया है। साथ ही परिवादी साक्षियों को भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि परिवादी की लड़की अभियुक्त को पंसद नहीं करती थी।

18— अभियुक्त राजू ने अपने अभियुक्त कथन की कंडिका 37 में यह बचाव लिया है कि उसके चाचा की मृत्यु दिनांक 07/03/10 को हो जाने के कारण लड़की पक्ष को एक साल तक रूकने के लिए कहा उसी बीच लड़की ने उसकी पसंद से विवाह करने का निर्णय लिया, जबिक स्वयं बचाव साक्षी नानक ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट किया है कि लड़की पक्ष शादी के लिए लड़के पक्ष के घर गए और स्वयं रिश्ता तोड़ने वाली बात राजू ने बताया जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजू असत्य कथन कर रहा है जबिक एक तरफ लड़की को उससे शादी करना पसंद नहीं था। प्रश्न कं 35 के उत्तर में व्यक्त किया

और एक तरफ अपने चाचा की मृत्यु होने के संबंध में एक वर्ष की शादी बढ़ाने के लिए समय लिया है। उक्त दोनों तथ्य ही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, जो कि विरोधात्मक तथ्य है, जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है।

19— परिवादी साक्षी हिरिराम (पिर0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि संगीता की सगाई 26/02/10 को हुई थी। उसके बाद लड़के की मॉ का फोन कल्लु के पास आया कि उसके पास मोटर साईकिल है लड़का मचल गया है उसकी मांग पचास हजार रूपये नगद, 5 तौला सोना एवं कार चाहिए, तब शादी होगी। उसके बाद समझाने गये उनके माता—पिता के पास लड़के पास हाथ पैर जोड़े नहीं माने। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है। और इस गवाह ने आरोप पश्चात् साक्ष्य की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि उस कार्यक्रम में अभियुक्त राजू भी उपस्थित था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि सगाई का कार्यक्रम था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजू और सुखियाबाई का आना—जाना कल्लुलाल के घर में होता था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि सगाई कैसे हुई किस प्रकार से सगाई जोड़ी गई उसकी संपूर्ण जानकारी कल्लुलाल को है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि इसकी जानकारी उसको भी है। अर्थात् इस गवाह के समक्ष सगाई हुई और सगाई कैसे हुई इस संबंध में उसे जानकारी है।

आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि किस कारण से टूटी बता दिया था। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि शादी वर्ष अप्रैल माह 2010 कल्लू लाल के साथ 10–12 लोग थे जिसमें निलेश प्रजापति, प्रवीण प्रजापति, रामदयाल रावत, शिवपाल सरले, किसनशाह, साबीरशाह मन्नू देशमुख, प्रमिला, कौशल प्रजापति और अन्य लोग थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में व्यक्त किया है कि उसे इस संबंध में जानकारी है कि उसके भाई ने किस संबंध में केश डाला है दहेज की पूर्ति नहीं होने के कारण शादी तोड़ी गई। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में व्यक्त किया है कि सगाई के 4 दिन बार कल्लुलाल ने बताया कि उसे छिन्दवाड़ा से फोन आया था, उसे उसने बताया है कि लड़का मचल गया है उसकी मांग पूरी करना पड़ेगा। आगे इग गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि छिन्दवाड़ा में कल्लुलाल के साथ गया था। आगे इस गवाह ने बताया कि पचास हजार रूपये, सोना, कार की मांग कर रहे थे। यह संपूर्ण जानकारी कल्लुलाल को थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उन सभी को थी। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि यह गवाह परिवादी कल्लु के साथ अभियुक्त राजू के घर जो दहेज की मांग की गई थी। उसको समझाने गये और अभियुक्त राजू के द्वारा सोना, कार, नगद पचास हजार रूपये की मांग की गई, यह भी स्पष्ट होता है।

21— परिवादी साक्षी तुलाराम (परि०सा०३) ने आरोप पश्चात् साक्ष्य में बताया है कि दुसरे दिन वे लोग जीप से चंदनगांव पहुँचे और 8—10 लोग थे, उनके घर जाने पर लड़का और उसकी माँ थी, उनके पिता नहीं थे। उन लोगों ने पिता को बुलाने के लिए कहा मगर उन्होंने ने नहीं बुलाया। एक रेल्वे का ड्रायवर था उसने लड़के के पिता को लेकर डेढ घंटे बाद आया। वह ड्रायवर ऐसा बता रहा था कि कल्लुलाल एवं लड़के वाले दोनों का रिश्तेदार है। काफी समझाने के बाद भी लड़का एवं उसकी माँ शादी को तैयार नहीं हुई, कारण पूछा कि क्यों नही लड़की मांग रहे तो आपने क्या देखकर रिश्ता कर लिया था उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सेठ आदमी है, टीका में कुछ देगा किन्तु उन्हें टीके में कुछ नहीं मिला अंगूठी तो हर कोई देते है, रिवाज हो गया है। उनका लड़का पढ़ा लिखा है और उसका पिता नगर पालिका में सर्विस करता है। हमने पूछा कि आपकी क्या मांग है

तो उसकी माँ ने कहा जब तक गाड़ी नहीं देगें, तो वह शादी नहीं करेगा, काफी समझाने के बाद वह वापस आ गये, अब साक्षी कहता है कि फोर व्हीलर गाड़ी बोला था लेकिन गाड़ी का क्या नाम था उसे नहीं मालूम और लेन—देन के बारे में चिक—चिक हो रही थी उन्होंने बोल दिया था कि बिना लेन—देन के शादी नहीं करेगें। उक्त तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन नहीं किया गया है।

22— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि आज भी कल्लुलाल की सामाजिक, सांस्कृितक, धार्मिक क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठित है। अर्थात् परिवादी कल्लुलाल एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और इस गवाह की साक्ष्य को खंडन न करने के कारण इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त राजू ने दहेज में गाड़ी की मांग नहीं की, बल्कि यही माना जायेगा कि अभियुक्त राजू के द्वारा दहेज में गाड़ी को मांग को लेकर उसने शादी नहीं की।

23— परिवादी साक्षी रामप्रसाद (परि०सा०४) ने आरोप पश्चात् साक्ष्य में बताया है कि उसके मामा कल्लु प्रजापित, बुआ प्रमिला, पिंकू हिराम, तुलाराम यादव, रामिकशोर, शिवपाल, नारायण इतने ही नाम उसे याद है अन्य लोग वह नहीं जानता है, गये हुये थे वहां पहुँचने पर लड़के की मां ने कहा कि वे लोग शादी के लिए तैयार है लेकिन लड़के की मांग है कि उसके पास मोटर साईकिल तो है एक कार, पचास हजार रूपये नगद और पांच तौला सोना चाहिए, यदि उसकी मांग पूरी नहीं करते है तो वे यह शादी नहीं करेगें उन सभी लोगों ने समझाया कि लड़की सगाई हो चुकी है समाज में सभी को पता हो गया है अगर यह रिश्ता टूटता है तो दूसरा रिश्ता जोड़ने में किठनाई होगी, लेकिन उन्होंने किसी की कुछ नहीं मानी। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है।

इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि 24-कल्लुलाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनकी आज भी वर्तमान में जात समाज में मान सम्मान हो, प्रतिष्ठता बनी हुई उनको आज भी सभी लोग मानते है, अर्थात परिवादी एक सामाजिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति है। एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपनी पुत्री का विवाह तोड़ना नहीं चाहेगा। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि उन्होंने जैसा बताया आज वैसा न्यायालय में बयान दे रहा है, उसने स्वतः कहा कि सगाई में जैसा देखा वह वैसा बता रहा है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि केवल सगाई तक की बातचीत के बारे में जानकारी है उसके सिवा उसे कोई जानकारी नहीं है, साक्षी ने अब कहा कि सगाई के बाद दहेज के बारे में गांव गया था उसकी जानकारी उसे है। आगे प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में इस गवाह को बचाव पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया है कि लडके पक्ष ने दहेज की कोई मांग नहीं की, तो साक्षी ने कहा कि दहेज की मांग की है जिसकी वजह से शादी टूटी है। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राजू के द्वारा दहेज में कार, पचास हजार रूपये नगद, पांच तोला सोना की मांग की, इस कारण सगाई टूटी और परिवादी की पुत्री संगीता का विवाह नहीं हुआ।

25— परिवादी साक्षी श्यामराव वराठे (परि०सा०५) ने आरोप पश्चात् साक्ष्य में बताया है कि महिने देड महिने बाद कल्लु ने उसे बताया कि लड़का शादी करना नहीं चाहता उसकी शादी के लिए मोटर साईकिल की मांग की है, फिर उसने कल्लु को बोला कि वे लोग चंदनगांव जाकर बाप बेटे को समझाते है वे लोग करीब 10—15 लोग गये उन लोगों को समझाए कि सब मांग पूरी करना संभव नहीं है वे मोटर साईकिल देगें। लड़के ने बोला कि उसके पास मोटर साईकिल है मोटर साईकिल नहीं चाहिए कार एवं पचास हजार रूपये

नगद और सोना चाहिए। उक्त साक्ष्य को बचावपक्ष की ओर से खंडन नहीं किया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आज उसने न्यायालय में जितनी बातें बताई उसने स्वयं की जानकारी के आधार पर बताई है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि देखने जाने से लेकर सगाई तक की जानकारी कल्लु को है। आगे इसग गवाह ने व्यक्त किया कि सगाई की जानकारी है क्योंकि उन्होंने उसे सगाई में बुलाया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि लड़के ने कार वगैरह मांगने की बात उसके सामने की थी, किन्तु अन्य किसी के सामने की हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्त राजू के द्वारा दहेज में कार, पचास हजार रूपये नगद और 5 तौला सोना की मांग की।

26— परिवादी साक्षी प्रवीण प्रजापित (परि०सा०६) ने आरोप पश्चात साक्ष्य में बताया है कि चंदनगांव लड़के के घर पहुँचने पर पर उन्होंने लड़के वालों को समझाया कि दहेज में गाड़ी क्यों मांग रहे हो तो लड़के के पापा मम्मी और लड़के ने कहा कि मोटर साईकिल तो है आल्टो कार पचास हजार रूपये और पांच तोला सोना दहेज में चाहिए। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन नहीं किया गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि जब वे वहां गये थे लड़के के पूरे परिवार वालों को समझाया तो उनके सारे परिवार वालों ने उनके मम्मी पापा उनका एक भाई जिनका नाम उसे याद नहीं है स्वयं राजू ने और सभी ने आल्टो कार, पचास हजार रूपये और पांच तोला सोना की मांग की। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त राजू के द्वारा दहेज में नगद पचास हजार रूपये, कार और पांच तौला सोना की मांग की।

बचाव पक्ष की ओर से 18 पेज का लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है और संपूर्ण लिखित तर्क लिखा जाना उचित नहीं है। संक्षेप में इस प्रकार है कि चार मार्च को राजू की माँ सुखिया बाई ने 9424962080 से फोन किया और कहा कि राजू मचल रहा है मोबाईल पर चर्चा की कोई कॉल डिटेल प्रस्तुत नहीं की है तथा किस नं. पर फोन आया था उसका नं. नही लिखा है। सगाई के तारिख तय करने आए है, इसी बात पर सगाई की तारिख 26/02/10 तय की गई थी। पुलिस अधीक्षक को दिये गये आवेदन में दिनांक 16/04/10 को फोन करके बताया कि तुम कार तथा पांच तोला सोना और नगद पचास हजार रूपये दे रहे हो तो वे शादी करेगें नहीं तो वे शादी नहीं करेगें। किन्तु यह बात नहीं लिखी है कि किस नं. से किसके मोबाईल पर फोन आया और परिवाद पत्र में संशोधन किया गया है जो कि 499, 304 "ख" व धारा-427 एवं 1, 2 की जगह दहेज प्रतिशेद्य अधि० की धारा 3,4 को सुधारने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा पचास हजार रूपये नगद, कार, पांच तोला सोना की मांग नहीं की गई है। साक्षी कल्लु एवं उसके समर्थन में प्रस्तृत साक्षियों के कथन में विरोधाभाष हैं। राजू के चाचा प्रेम मालवीय की मृत्यू दिनांक 07/03/10 को होने के कारण वह एक वर्ष के लिए कोई शुभ कार्य उनके समाज में नहीं किया जाता। इस कारण वह एक वर्ष के पश्चात विवाह कराना चाहते थे। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया है। उक्त लिखित तर्क लाभ बचाव पक्ष को प्रदान नहीं किया जाता है। क्योंकि जो मोबाईल नं. उसका बताया गया है। वह भी कॉल डिटेल प्रस्तुत कर सकता था और यह भी बता सकता था कि उसके द्वारा ऐसी कोई बातचीत नहीं की गई। साथ ही परिवादी कल्लुलाल एक ग्रामीण व्यक्ति है। परिवाद एक अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तूत किया जाता है। अधिवक्ता विद्धान होते है यदि उनके द्वारा त्रृटि की गई है तो वह सद्भाविक त्रृटि मााना जावेगा और उक्त संबंध में न्यायालय की ओर से संशोधन समाहित कराने की अनुमित प्रदान की गई है। जहां तक प्रेम मालवीय की मृत्यु के कारण अभियुक्त राजू विवाह को शादी बढ़ाने का जो कारण बताया है उक्त संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाये कि उसके चाचा की मृत्यु हुई थी ऐसी कोई ठोस साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके समाज में ऐसी रूढि या प्रथा है कि उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाये तो वह एक वर्ष के लिए कोई शुभ कार्य नहीं करते।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि परिवादी साक्षी कल्लुलाल एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्षियों के न्यायालयीन साक्ष्य में तात्विक विरोधाभाष एवं लोप है वे प्रकरण में आरोपीगण की भूमिका के संबंध में पृथक-पृथक रूप से बढा-चढ़ाकर कथन कर रहे है जिस कारण से इनका साक्ष्य विश्वसनीयता के अयोग्य है । बचाव पक्ष के तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धांत भारत वर्ष में एक दृढ़ सिद्धांत के रूप में स्वीकृत नहीं है। शायद ही ऐसा कोई साक्षी हो जिसके कथन में असत्य का मिश्रण न हो और उसके द्वारा घटना का बढा चढा कर वर्णन न किया गया हो। ग्रामीण परिवेश के साक्षी स्वभाविक तौर पर आरोपीगण को ज्यादा सजा दिलाने के उद्देश्य से घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते है, परंतु इतने मात्र से उनके संपूर्ण साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सत्य–असत्य के मिश्रण में से सत्य भाग को अलग करें और उसके आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। इस प्रकार परिवादी साक्षियों के कथनों में जो थोडे बहुत विरोधाभाष है उस आधार पर उनका संपूर्ण साक्ष्य अमान्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय के इस मत का समर्थन माननीय न्यायदृष्टांत अब्दुल गनी विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 1954 एस.सी. 31 एवं न्यायदृष्टांत अशोक विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2008 एम.पी.एच. टी. 234 से भी होता है । अतः बचाव पक्ष को प्रस्तुत तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं।

29— परिवादी साक्षी कल्लुलाल (परि०सा०1) ने आरोप पश्चात् साक्ष्य की कंडिका 24 में यह स्वीकार किया है कि उसके समाज में शादी होती है तो स्वेच्छया से बस पैसे दिये जाते है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि राजू को कपड़े व जो भी सामान सगाई में दिया था, वह स्वेच्छया से दिया था। अर्थात् जो सगाई में कपड़े या सामान दिया गया है वह स्वेच्छया से दिया गया है, जबिक दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम, 1961 यह उपबंधित करती है कि दहेज लेने या देने के लिए सिस्त इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् जो कोई दहेज देता है या लेता है अथवा देने या लेने के लिए उकसाता है। जबिक परिवादी कल्लुलाल के द्वारा सगाई के समय अपनी स्वेच्छया से सामान दिया गया है उसे दहेज में लेना या देना नहीं माना जा सकता।

30— स्वयं परिवादी कल्लुलाल (परि०सा०1) ने आरोप पूर्व साक्ष्य की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि संगीता की सगाई 26/02/10 को हुई। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 18 में स्वीकार किया है कि 05/04/10 को राजू और राजू की मॉ सुखियाबाई ने कार, सोना और रकम नहीं मांगी थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि राजू ने मांगी थी। अर्थात् दहेज में जो कार, सोना, और पचास हजार रूपये की मांग की है वह सिर्फ राजू के द्वारा ही मांग की गई है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि राजू के द्वारा परिवादी की लड़की संगीता से सगाई की और सगाई के बाद दहेज में कार, सोना और पचास हजार रूपये की अर्थात् रकम की मांग की। बल्कि अभियुक्त सुखियाबाई के द्वारा दहेज में किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की।

रिश्तेदार या अभिभाषक से दहेज मांगता है, जबिक परिवादी साक्षी कल्लुलाल (परि०सा01), परिवादी साक्षी हिराम (परि०सा02), परिवादी साक्षी तुलाराम (परि०सा03), परिवादी साक्षी रामप्रसाद (परि०सा04), परिवादी साक्षी श्यामराव (परि०सा05), परिवादी साक्षी प्रवीण प्रजापित (परि०सा06) के आरोप पश्चात् साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त राजू के द्वारा दहेज में पचास हजार रूपये नगद, कार, एवं पांच तोला सोना की मांग की, इस कारण अभियुक्त राजू ने शादी तोड़ी।

- 32— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि परिवादी ने दहेज में सगाई के समय जो समान दिया गया था वह अभियुक्त के द्वारा या वधु के माता पिता के द्वारा दिया गया हो, बल्कि जो सगाई में दिया गया है वह स्वेच्छया से दिया गया है जो कि उपहार स्वरूप दिया गया है उक्त सामान दहेज के रूप में नहीं दिया गया है।
- 33— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त राजू के द्वारा परिवादी कल्लुलाल से उसकी पुत्री की शादी के एवज में कार, पचास हजार रूपये नगद एवं पांच तोला सोना की मांग की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त सुखियाबाई के द्वारा परिवादी कल्लुलाल से उसकी पुत्री की शादी के एवज में कार पचास हजार रूपये नगद एवं पांच तोला सोना की मांग की।
- 34— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त राजू के द्वारा परिवादी कल्लुलाल से उसकी पुत्री की शादी के एवज में कार, पचास हजार रूपये नगद एवं पांच तोला सोना की मांग की। इस प्रकार अभियुक्त राजू को दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम की धारा—4 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया गया जाता है। किन्तु अभियुक्त राजू के द्वारा सगाई के समय दहेज के रूप में जो सामान परिवादी के द्वारा दिया गया है वह स्वेच्छया से दिया गया है दहेज के रूप में नहीं दिया गया है इस कारण अभियुक्त राजू को दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम, 1961 की धारा—3 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 35— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त सुखियाबाई के द्वारा परिवादी कल्लुलाल से उसकी पुत्री की शादी के एवज में कार, पचास हजार रूपये नगद एवं पांच तोला सोना की मांग की एवं साथ ही सगाई के समय जो सामान दिया गया है वह दहेज के रूप में दिया गया है। इस प्रकार अभियुक्त सुखियाबाई को दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम,1961 की धारा—3/4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेंणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

36— सजा के प्रश्न पर अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुश्री लता बोरगांवकर ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त राजू प्रथम अपराधी है, नगर पालिका में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, घर में वृद्ध माता—पिता है घर में उसके छोटे तीन भाई बहन है जिनकी देखरेख व शिक्षा दीक्षा उसके उपर है और वह परिवार का कर्ताधर्ता सदस्य है उसके जेल जाने से उसके परिवार में एवं सामाजिक परिवेश में विपरित प्रभाव पड़ेगा। अतः उसे कारावास से दंडित न किया जाकर अर्थदण्ड से दंडित किये

जाने का निवेदन किया। इसके विपरित परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश दामले के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तृत तर्क पर विचार किया गया। अभियुक्त को दहेज प्रतिशेद्य अधिनिमय,1961 की धारा–4 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है, जो कि दहेज में कार, पचास हजार रूपये नगद एवं पांच तोला सोना की मांग के कारण सगाई होने के पश्चात रिश्ता तोडा गया है, जो कि गंभीर प्रकृति के अपराध को दर्शित करता है। सामान्यतः एक सामाजिक जीवन में प्रत्येक माता–पिता की पुत्री का यदि विवाह टूट जाये तो उसके पश्चात् उनके सामाजिक जीवन और उनके मान सम्मान पर विपरित प्रभाव पड़ता है। जिससे कि कई माता पिता या वह लड़की मृत्यु तक कारित कर सकते है। ऐसे अपराध से अभियुक्त को कारावास से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है और एक समाज में ऐसे रिश्ते कोई भी व्यक्ति दहेज की मांग को लेकर रिश्ता न तोडे एक अच्छा संदेश जा सकता है। अतः अभियुक्त राजू को दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम, 1961 की धारा-4 के अपराध में 1(एक) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 / -(पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिकृम में 2(दो) माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त रिमांड या विचारण के दौरान उपजेल मुलताई में निरूद्ध रहा हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के अंतर्गत मुजरा की जावे।

38— अभियुक्त सुखियाबाई के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गए। प्रकरण में आरोपीगण का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

39— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं। निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र०